प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 27 नवम्बर 2015

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को शुद्व पेयजल की सुविधा प्रदान किये जाने लिए आर0 ओ0 प्लाण्ट स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-40614/आधु0-1/आर0ओ0/2015, दिनांक-11 सितम्बर 2015 एवं पत्र संख्या-45365/आधु0-1/आर0ओ0/2015, दिनांक- 23 अक्टूबर 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को शुद्व पेयजल की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रथम चरण में संलग्न विवरणानुसार प्रदेश की 39 कारागरों में आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापित किये जाने हेतु रू0 2,00,00,000/-(रूपया दो करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) कारागारों में आर0ओ0 प्लान्ट स्थापित करने से पूर्व कारागारों में आपूर्तित/उपलब्ध जल की जॉच अवश्य करा ली जाय तथा जिन कारागारों में पानी ज्यादा अशुद्व पाया जाता है उन्ही कारागारों को प्रथम चरण में शामिल किया जाय।

(2) कारागारों में 3000/2000 लीटर क्षमता के आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापित कराये जाने हेतु निविदा की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिष्ठित कम्पनी/फर्मों से प्राप्त न्यूनतम दरों के अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय /उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(4) आपूति-कर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आर0ओ0 पलाण्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) आर0ओ0 प्लाण्ट का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही है धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-15-कारागारों में शुद्व पेयजल हेतु आर0ओ0 की व्यवस्था-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च,2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-206/2015/1357(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-206/2015/1357/22-4-15-48(99), दिनांक-27 नवम्बर,2015 का संलग्नक

क्र0	कारागारों का नाम	निरूद्ध बन्दियों की कुल संख्या	आर0ओ0 क्षमता (लीटर प्रति घण्टा)
1	2	3	4
1	केन्द्रीय कारागार, नैनी	4000	3000
2	जिला कारागार, अलीगढ़	2993	3000
3	जिला कारागार कानपुर नगर	2550	3000
4	जिला कारागार, बरेली	2500	3000
5	केन्द्रीय कारागार, बरेली	2551	3000
6	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	2000	3000
7	जिला कारागार, बदायूँ	1908	3000
8	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	1857	3000
9	जिला कारागार, शाहजहाँपुर	1800	3000
10	जिला कारागार, वाराणसी	1700	3000
11	जिला कारागार, फिरोजाबाद	1717	3000
12	जिला कारागार, मथुरा	1600	3000
13	जिला कारागार, खीरी	1600	3000
14	जिला कारागार, सीतापुर	1583	3000
15	जिला कारागार, इटावा	1453	2000
16	जिला कारागार, देवरिया	1400	2000
17	जिला कारागार, हरदोई	1403	2000
18	जिला कारागार, सहारनपुर	1373	2000
19	जिला कारागार, कानपुर देहात	1355	2000
20	जिला कारागार, फतेहगढ़	1350	2000
21	जिला कारागार,एटा	1300	2000
22	जिला कारागार, उन्नाव	1272	2000
23	जिला कारागार, आजमगढ़	1100	2000
24	जिला कारागार, मैनपुरी	1070	2000
25	जिला कारागार, झांसी	1062	2000
26	जिला कारागार, मिर्जापुर	1050	2000
27	जिला कारागार, रामपुर	945	2000
28	जिला कारागार, गोण्डा	950	2000
29	जिला कारागार, जौनपुर	950	2000
30	जिला कारागार, रायबरेली	908	2000
31	जिला कारागार, कन्नौज	755	2000
32	जिला कारागार, उरई	700	2000
33	जिला कारागार, सिद्वार्थनगर	700	2000
34	जिला कारागार,महराजगंज	772	2000
35	जिला कारागार, प्रतापगढ़	650	2000
36	जिला कारागार, हमीरपुर	650	2000
37	जिला कारागार, कौशाम्बी	600	2000
38	आदर्श कारागार, लखनऊ	500	2000
39	नारी बंदी निकेतन, लखनऊ	350	2000

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।